न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — रामचरण शर्मा आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 73/अपील/18 — तारीख दायरा 05.06.18

रामगोपाल आ0 अमेदा जाति मीणा निवासी बासोदिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

————————————अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल आ0 कजोड़ीलाल मीणा निवासी बासोदिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड़।
2. भूरालाल आ0 कजोड़ीलाल मीणा निवासी बासोदिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड़।
3. हेमराज आ0 कजोड़ीलाल मीणा निवासी बासोदिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड़।
4. कालूलाल आ0 कजोडीलाल मीणा निवासी बासोदिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड़
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अकलेरा

————————————रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— 1. श्री संजय सक्सेना वकील अपीलान्ट
2. श्री मंसूद आलम वकील रेस्पोडेन्टस

—: निर्णयः— दिनांकः— 13.09.18

यह अपील धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार अकलेरा के निर्णय दिनांक 03.04.2013 के विरूद्व पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट का खाता सं0 217 की आराजी 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा रेस्पोडेन्टस नं0 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज है—लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच किये अपीलान्ट को 1/2 से हिस्से से 04 बीघा 4 बिस्वा कम आराजी देकर इन्तकाल खोलकर त्रुटि कारित की है—इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी प्रकिया का उल्लंघन किया है—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह नही देखा कि अपीलान्ट को कितने बीघा आराजी दी गई इस तथ्य को गौर किये बिना नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया—रेस्पोडेन्टस ने फ्राड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके नामान्तकरण को तस्दीक करवाया है, अपीलान्ट द्वारा विधि सम्मत बंटवारा चाहा गया था—तहसीलदार अकलेरा के द्वारा दिनांक 03.04.13 को नामान्तकरण तस्दीक किया गया जिसका ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 07.05.18 को हुआ जबकि रेस्पो0 नं0 1 ने विवादग्रस्त आराजी पर पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी इसके बाद अपीलान्ट द्वारा मालूमात करके नामा0 की नकल प्राप्त की—अतः अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेरे अपील निरस्त किया जावें।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पोंडेन्टस की ओर से वकील श्री मंसूर आलम द्वारा वकालत नामा पेश किया गया । दौराने बहस वकील उभय पक्ष उपस्थित हुवे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो को दोहराते हुवे लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(1)

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

P.T.O.

1 बिस्वा आराजी का तो बंटवारा ही नही किया है, अधीनस्थ न्यायालय को बिना बेचान, रहन, हक त्याग के किसी भी खातेदार की भूमि का हिस्सा कम करने का अधिकार प्राप्त नही है–इस बाबत आर0आर0टी0 2012 पेज नम्बर 658 तथा आर0आर0टी0 2010 पेज 1073 प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.13 खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि ख0न0 569 की 1 बिस्वा में चाह शामलाती में होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका बंटवारा नही किया गया है वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दोराने बहस लिखित बहस भी पेश की गई जिसमें अनुरोध किया गया कि अपीलान्ट ने दुर्भावनापूर्व वास्तविकता को छुपाते हुए 07.05.18 को जानकारी होना बताते हुवे दिनांक 03.04.2013 को खोले गये इन्तकालो में से केवल एक ही की अपील की हैं–इन्तकाल नं0 775 जिसमें उसे अधीक भूमि मिली है, उसकी अपील नही की है–वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस के शामलाती 2 खाते थे खाता सं0 11 में 52 बीघा 9 बिस्वा, खाता सं0 217 में 31 बीघा 1 बिस्वा कुल 83 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी जिसकी आधी 41 बीघा 15 बिस्वा होती है–अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस ने प्रशासन गॉव के संग अभियान 2013 में आपसी सहमति से दिनांक 15.02.13 का बंटवारा प्रस्ताव भरवाकर पढकर, समझकर अपने हस्ताक्षर कर कुल आराजी का इस प्रकार बंटवारा किया खाता सं0 11 में से अपीलान्ट ने 30 बीघा 8 बिस्वा, रेस्पोडेन्टस ने 22 बीघा 1 बिस्वा खाता सं0 217 में से अपीलान्ट ने 11 बीघा 6, रेस्पोडेन्टस ने 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि इस प्रकार से अपीलान्ट को 41 बीघा 14 बिस्वा भूमि व रेस्पोडेन्टस को 41 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई–समहति से बटवारा पर अपीलान्ट ने अपना फोटा भी लगाया हुआ है, बटवारा सहमति से किया गया है जिसका इन्द्राज इन्तकालों में है, अपीलान्ट द्वारा गोपाल के स्थान पर रामगोपाल दर्ज कराया गया जिसका इन्तकाल नं0 817 दिनांक 08.06.15 को खुला जिससे भी प्रमाणित होता है कि इन्तकाल की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही थी। इसलिये अपीलान्ट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावें

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस विद्वान अभिभाषकगण पर गौर किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत प्रशासन गॉव के संग अभियान 2013 में सहमति से हुवे खातां0 सं0 11 व खाता सं0 217 की आराजी का सहमति से राज्य सरकार द्वारा बंटवारा होना स्पष्ट है, जिसके अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं0 776 दिनांक 03.04.2013 तस्दीक किया गया है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2013 में प्रथम दृष्टयाहस्तक्षेप करना उचित नही पाते है। अतः वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

13/09/18

(रामचरण शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़